

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 92/गोपनीय/2018
दो-2-1/2018 (भाग-ए)


जबलपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2018

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा0-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा01-2-90/21-ब (एक), दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.1-2-90-21/ब(एक)1511/2016, दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट **विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय** में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री गजेन्द्र सिंह	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	उज्जैन
2	श्री अतुल्य सराफ	खण्डवा	रायसेन	रायसेन	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अफसर जावेद खान के स्थान पर।	रायसेन
3	श्री अफसर जावेद खान	रायसेन	सीहोर	सीहोर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	सीहोर
4	श्री अजीत सिंह	सागर	सतना	सतना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	सतना
5	श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी	दमोह	झाबुआ	झाबुआ	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	झाबुआ



24.1.18

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री संजीव श्रीवास्तव	बासोदा	उज्जैन	उज्जैन	षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्री मोहम्मद मूसा खान	नसरुल्लागंज	बदनावर	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
3.	श्रीमती वंदना जैन	इटारसी	भोपाल	भोपाल	तेइसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
4.	श्री बलराज कुमार पालोदा	भोपाल	इन्दौर	इन्दौर	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र.5 विद्युत अधि० इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
5.	श्रीमती निहारिका सिंह	होशंगाबाद	भोपाल	भोपाल	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र.1 विद्युत अधि० भोपाल की हैसियत से श्री बलराज कुमार पालोदा के स्थान पर।
6.	श्री जितेन्द्र सिंह कुशावाह	सोनकच्छ	इन्दौर	इन्दौर	बीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
7.	श्री आलोक कुमार मिश्रा	उज्जैन	इन्दौर	इन्दौर	उन्नीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
8.	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल	जावद	देवरी	सागर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।



 24.1.18

9.	श्री सुशील कुमार	डबरा	इन्दौर	इन्दौर	अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
10.	श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय	कुक्षी	धार	धार	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
11.	श्री शशिकांत वर्मा	अमरवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

टिप्पणी:-

1. श्री अफसर जावेद खान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायसेन,
2. श्री संजीव श्रीवास्तव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बासोदा, जिला विदिशा,
3. श्री मोहम्मद मूसा खान, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर,
4. श्रीमती वंदना जैन, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी, जिला होशंगाबाद,
5. श्री बलराज कुमार पालोदा, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, विद्युत अधिनियम भोपाल,
6. श्रीमती निहारिका सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद,
7. श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ, जिला देवास,
8. श्री आलोक कुमार मिश्रा, नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन,
9. श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जावद जिला नीमच, का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

टिप्पणी :-

- (1) श्री सुशील कुमार, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डबरा जिला ग्वालियर का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन पर किया गया है, अतः निर्देशित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार को इंदौर से डबरा एवं डबरा से इंदौर हेतु स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- (2) श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुक्षी जिला धार, का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन पर किया गया है, अतः निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती वंदना राज पाण्डेय को अंजड (बड़वानी) से कुक्षी (धार) अथवा कुक्षी (धार) से धार में से किसी एक स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।
- (3) श्री शशिकांत वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन पर किया गया है, अतः निर्देशित किया जाता है कि श्री शशिकांत वर्मा को मुलताई (बैतूल) से अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा) अथवा अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा) से छिन्दवाड़ा में से किसी एक स्थानांतरण हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,



(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 94/गोपनीय/2018
दो-2-1/2018

जबलपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2018


प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।


- 5 (1) श्री गजेन्द्र सिंह, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन,
- (2) श्री अतुल्य सराफ, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा,
- (3) श्री अफसर जावेद खान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायसेन,
- (4) श्री अजीत सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर,
- (5) श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह,
- (6) श्री संजीव श्रीवास्तव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बासोदा, जिला विदिशा,
- (7) श्री मोहम्मद मूसा खान, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर,
- (8) श्रीमती वंदना जैन, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी, जिला होशंगाबाद,
- (9) श्री बलराज कुमार पालोदा, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, विधुत अधिनियम भोपाल,
- (10) श्रीमती निहारिका सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद,
- (11) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ, जिला देवास,
- (12) श्री आलोक कुमार मिश्रा, नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन,
- (13) श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जावद जिला नीमच,
- (14) श्री सुशील कुमार, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डबरा जिला ग्वालियर,
- (15) श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कृक्षी जिला धार,
- (16) श्री शशिकांत वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 01-02-2018 तक अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

- 6 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन/खण्डवा/रायसेन/सागर/दमोह/विदिशा/सीहोर/होशंगाबाद/भोपाल/देवास/नीमच/ग्वालियर/धार/छिन्दवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पद का कार्यभार इस प्रकार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 01.02.2018 तक अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
- 7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना/झाबुआ/इन्दौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 8 रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (7) प्रभारी संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (8) सदस्य/सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 9 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 10 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।



- 11 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 14 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 15 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/लायब्रेरी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।


 (मौ. फहीम अनवर)
 रजिस्ट्रार जनरल